

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 111/2025 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2025/163



1. कमला पुत्री इमाम खां निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. हकीमन बानो पुत्री इमाम खां निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. मनफूल पुत्र इमाम खां निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर।
4. रईसाबानो पुत्री इमाम खां निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर।
5. मोहम्मद रजाक पुत्र इमाम खां निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर।
6. बाला पत्नि भंवरु खां निवासी करमीसर तहसील तहसील व जिला बीकानेर।
7. रहमत पुत्री भंवरु खां निवासी करमीसर तहसील तहसील व जिला बीकानेर।
8. रेहमतबानो पुत्री भंवरु खां निवासी करमीसर तहसील तहसील व जिला बीकानेर।
9. बरकत अली पुत्र भंवरु खां निवासी करमीसर तहसील तहसील व जिला बीकानेर।
10. शोकत अली भंवरु खां निवासी करमीसर तहसील तहसील व जिला बीकानेर।
11. लियाकत पुत्र भंवरु खां निवासी करमीसर तहसील तहसील व जिला बीकानेर।
12. कुर्जा पत्नि बशीर खां निवासी करमीसर तहसील तहसील व जिला बीकानेर।
13. हसन खां पुत्र बशीर खां निवासी करमीसर तहसील तहसील व जिला बीकानेर।
14. कालु खां पुत्र बशीर खां निवासी करमीसर तहसील तहसील व जिला बीकानेर।
15. भीखी पुत्री बशीर खां निवासी करमीसर तहसील तहसील व जिला बीकानेर।
16. वबलू अली पुत्र बशीर खां निवासी करमीसर तहसील तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. सचिव, नगर विकास न्यास बीकानेर वर्तमान बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार बीकानेर।

उपस्थित: श्री प्रहलाद जाखड़
श्री दाऊलाल हर्ष

—रेस्पोंडेंट

— अभिभाषक अपीलांट्स
— अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं. 1

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 16.09.2025

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 20.06.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है -

1- अपीलांट्स के पिता/दादा इमाम खां पुत्र उजीर खां जाति मुसलमान निवासी करमीसर के नाम से रोही मौजा करमीसर के नाम से रोही मौजा करमीसर के राजस्व खसरा नंबर 49/12/2 रकबा 24 बीघा खाम व खसरा नंबर 49/12/3 रकबा 31 बीघा 18 बिस्वा खाम भूमि, जिसके उपनिवेशन खसरा नंबर 306 तादादी 36 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता टी.सी. आवंटन शुदा उपनिवेशन खसरा नंबर 306 तादादी 36 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता भूमि टी.सी. आवंटनशुदा भूमि थी, जिसकी खातेदारी राज्य सरकार के आदेश के तहत अपीलांट के पिता/दादा इमाम खां को प्राप्त हुई थी तथा इंतकाल सं. 130 इमाम खां के नाम दर्ज हुआ। अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 पारित कर बीकानेर जिले की बीकानेर, नोखा, श्रीडूंगरगढ़ एवं देशनोक मास्टर प्लान क्षेत्र एवं नगरीय सीमा में सम्मिलित ग्रामों की समस्त राजकीय भूमियां (वाटर वॉन्डी व प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) संबंधित निकाय को हस्तांतरित किये जाने वावत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश पारित कर दिया। जिला कलक्टर बीकानेर के उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार बीकानेर ने वादगत भूमि को रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया। जिला कलक्टर बीकानेर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 एवं तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 17.08.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2- अभिभाषक अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट्स को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने व अपील को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं मियाद बिन्दु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट्स को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।


जिला कलक्टर
बीकानेर

3- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पिता/दादा इमाम खां पुत्र उजीर खां को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि का आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत ग्राम करमीसर के खसरा नंबर 306 तादादी 36 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। जिला कलक्टर बीकानेर के अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार ने वादगत भूमि का इंतकाल नगर विकास न्यास बीकानेर के हक में स्वीकृत कर दिया, जबकि उक्त रकबा का इंतकाल पहले से ही इमाम खां के नाम से जरिये इंतकाल सं. 130 दर्ज था तथा बदस्तूर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये तथा किसी प्रकार की रिपोर्ट लिए मनमाने तरीके से अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को रेस्पो. के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया, जो विधिविरुद्ध है। वादगत रकबा अपीलांट्स का खातेदारी रकबा है, जिस पर अपीलांट्स का हक एवं अधिकार है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट्स को कोई नोटिस दिए, बिना अपीलांट्स को सुनवाई एवं सबूत पेश करने का कोई अवसर दिए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। वादगत रकबा अपीलांट्स का खातेदारी रकबा है, जिसे बिना अवाप्त किये रेस्पो. के नाम से दर्ज नहीं किया जा सकता है। जिला कलक्टर बीकानेर ने तहसीलदार बीकानेर को समस्त राजकीय भूमियां संबंधित निकाय को हस्तांतरित किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया था, किन्तु तहसीलदार ने इस आदेश की पालना में अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को ही इस आदेश का हवाला देकर दर्ज कर दिया। अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा वादगत रकबा अपीलांट्स के नाम से दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4- अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति पेश करते हुए अवगत कराया कि उपरोक्त अनवान की अपील जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 20.06.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। नगर निकाय विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 10.05.2022 के निर्देशानुसार बीकानेर जिले के मास्टर प्लान क्षेत्र से संबंधित भूमि को हस्तांतरित किये जाने, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रशासनिक पत्र के विरुद्ध अपील



राजस्थान
बीकानेर

किये जाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज फरमायी जावे। अपील मियाद बाहर पेश होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील प्राथमिक आधार पर सुनी जाकर संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज की जावे।

5- हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 में समस्त राजकीय भूमियों को संबंधित निकाय को हस्तांतरित किये जाने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादगत भूमि अपीलांट्स के पिता/दादा इमाम खां पुत्र उजीर खां के नाम से जरिये नामान्तरण संख्या 130 राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जिसे अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार बीकानेर ने रेस्पोजेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 में समस्त राजकीय भूमियों को संबंधित निकाय में हस्तांतरण किये जाने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये थे, किन्तु तहसीलदार बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलांट्स के पिता/दादा इमाम खां की खातेदारी भूमि को रेस्पोजेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उक्त परिपेक्ष्य में जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 अपीलांट्स के पिता/दादा इमाम खां की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम करमीसर के खसरा नंबर 306 तादादी 36 बीघा 5 विस्वा की हद तक निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।

5- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम/मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

